न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 56/2020
GCMS Case No. 2020/00252

सायल–	बनाम	गैरसायल–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल जाति सिन्धी निवासी 45 पीठ का बास पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।

—:निर्णयः—

दिनांक – 28/04/2025

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 30.07.2020 को गैरसायल धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल जाति सिन्धी निवासी 45, पीठ का बास, पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली, जि पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(v) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल जाति सिन्धी निवासी 45 पीठ का बास पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2015 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से दो प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 50–50 रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है एवं चार प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट नम्बर/दिनांक	नाम न्यायालय निर्णय
1	475/30.09.2015	13 आरपीजीओ	278/8.10.15	दिनांक 28.10.15 को श्रीमान एसीजेमए सीआर पाली से 50 रूपये जुर्माना
2	158/31.03.2018	341, 323, 365, 384 भादस	120/30.04.18	जैर ट्रायल
3	49/29.1.20	13 आरपीजीओ	20/31.1.2020	दिनांक 05.06.20 को श्रीमान एसीजेएम सीआर पाली से 50 रूपये जुर्माना
4	73/11.02.2020	13 आरपीजीओ	24/14.02.2020	जैर ट्रायल
5	85/18.02.2020	13 आरपीजीओ	38/37.02.2020	जैर ट्रायल
6	104/02.03.2020	13 आरपीजीओ	49/13.03.2020	जैर ट्रायल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल जाति सिन्धी निवासी 45 पीठ का बास पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली का आला दर्जे का जुआरी है। जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के अवैध जुआ खेलने से अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पडने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगां का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(v) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद / सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना / परिवाद की तामिल करवाई गई। अधिवक्ता गैरसायल वक्त बहस अनुपस्थित रहने से ए.पी.पी की बहस सुनी गई।

प्रकरण में ए.पी.पी. ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

हमने अभियोजन अधिकारी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली में मुकदमा नम्बर 278 / 08.10.2015 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दिनांक 28.10.2015 को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 50 रूपये के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली ने मुकदमा नम्बर 20/31.01.2020 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2020 के द्वारा गैरसायल को प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित कर 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल जाति सिन्धी निवासी 45 पीठ का बास पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत 02 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली, जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट, जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 13.05.2025 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट, जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी रोहट, जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली गैरसायल धर्मेन्द्र पुत्र झुमालाल जाति सिन्धी निवासी 45 पीठ का बास पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी रोहट, जिला पाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली, जिला पाली एवं थानाधिकारी रोहट, जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान) — मुहर)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली